प्रेषक,

निदेशक,
पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

आवंटन,
अनुदान सं0–83
तेरह अंको का कोड–2515007890401

सेवा मे,

जिला पंचायत राज अधिकारी/
आहरण–वितरण अधिकारी उ0प्र0,
बदायूं, मुरादाबाद, बलिया, महोबा तथा श्रावस्ती।

संख्या– 1/227/2019–1/04/2019 : लखनऊः दिनांक 07 अगस्त, 2019

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुदान संख्या–83 के अधीन लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–789–अनुसूचित जाति के लिये विशेष घटक योजना–04–पंचायतीराज संस्थायें–0401–सफाई कर्मचारी अधिष्ठान की मानक मदों में व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–12/2019/794/33–3–2019–100(3)/2017 दिनांक 08.04.2019 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुदान संख्या–83 में सफाई कर्मचारियों के अधिष्ठान में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अपर मुख्य सचिव, वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–5/2019/वे0आ0–2–245/दस–2019–04(एम)/2016 दिनांक 03.06.2019 के अन्तर्गत मानक मदों में व्यय हेतु संलग्न तालिका के अनुसार रूपया–**18,01,76,430/–(रूपया अट्ठारह करोड़ एक लाख छिहत्तर हजार चार सौ तीस मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन आवंटित की जाती हैः–

1. आवंटित धनराशि को आहरित कर पी0एल0ए0/डिपॉजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।
2. आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
3. वित्तीय स्वीकृतियों तथा कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड सहित) के साथ–साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाय।
4. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स ऑफ फाइनेन्सियल प्रोपाइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
5. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2019/बी–1–170/दस–2019–231/2019 दिनांक 22.03.2019 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के नियमों अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
7. वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॉटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।
8. विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं0–4/2018/आर0जी0–1021/दस/2018–मित0–1/2017 दिनांक 18.09.2018 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय योजना आयोग भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिये निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।
10. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019–20 के अनुदान संख्या–83 के अधीन लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–789–अनुसूचित जाति के लिये विशेष घटक योजना–04–पंचायतीराज संस्थायें–0401–सफाई कर्मचारी अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।
11. नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाय। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।
12. बी0एम0–4 पर बने सभी कालम अवश्य भरे जाय तथा विवरण में कोषागार वाऊचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।
13. यदि बी0एम0–4 में सूचना नही भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होगें।

14. यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जानी है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण–पत्र नोट कराना आवश्यक होगा।
15. एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। अतः यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
16. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उप–मुख्य–लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुंकिंग में बाधा न हो।
17. संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि के व्यय का लेखा जोखा रखेंगें तथा व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथि तक निदेशालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

1– कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक व्यय विवरण बी0एम0–4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकन्सिलियेशन स्टेटमेण्ट आगामी माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग–1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2– वर्ष 2019–20 में समर्पण यदि कोई हो, तो उसकी सूचना दिनांक 20.02.2020 तक निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–08 पर अंकित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 ब्रह्म देव राम तिवारी)
निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्याः 1/227/2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार सी0पी0 सी0–2 उ0प्र0 प्रयागराज।
4. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज।
5. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 प्रयागराज।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7. एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(ब्रजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2019-2020
आवंटन दिनांक-07/08/2019

प्रेषण संख्या:- 1-227-2019-1-04-2019
आवंटन आदेश संख्या:- 004-01-04-2019
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2019-2020 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
04 - पंचायती राज संस्थायें
01 - सफाई कर्मचारी

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	06-अन्य भत्ते	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	योग
1	बदायूं-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	94304718 253956442	50055087 69213293	3873985 4815930	0 60225411	148233790 388211076
2	मुरादाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	0 132311330	0 15877359	0 780636	2699723 19465196	2699723 168434521
3	बलिया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	0 173939767	0 20872772	0 1026244	21417307 23569108	21417307 219407891
4	महोबा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	4500000 51137068	2500000 8096448	0 275158	0 7000000	7000000 66508674
5	श्रावस्ती-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	478205 48803997	317875 6116970	29530 314652	0 7609964	825610 62845583
	योग	वर्तमान प्रगामी	99282923 660148604	52872962 120176842	3903515 7212620	24117030 117869679	180176430 905407745

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया अठारह करोड़ एक लाख छिहत्तर हजार चार सौ तीस
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया नब्बे करोड़ चौवन लाख सात हजार सात सौ पैंतालीस

(बृजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी